न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सांखला,आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 111/2003 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. धर्मपाल पुत्र बिहारी लाल, जाति ब्राम्हण, निवासी ग्राम रानोठ, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर

----अपीलांट

–:बनाम:–

1. श्रीमति इन्द्रादेवी पत्नि बसन्ताराम,

2. दीप चन्द पुत्र श्री बसन्ताराम,

3. दीनू पुत्र श्री बसन्ताराम,

जाति ब्राम्हण, निवासी ग्राम रानोठ, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर

----असल रेस्पोडेन्ट

4. गुलाब चन्द पुत्र श्री श्योनारायण

5. रूढिया पुत्र गुलाब चन्द

6. सुभाष पुत्र गुलाब चन्द

7. हरिसिह पुत्र श्री बिहारी लाल, (मृतक)

जाति ब्राम्हण , निवासी ग्राम रानोठ, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर

7/1 राजबाला पत्नि हरीसिह उम्र करीब 54 साल,

7/2 विकास पुत्र हरीसिह उम्र करीब 30 साल,

7/3 विशाल पुत्र हरीसिह उम्र करीब 28 साल,

7/4 खुशबू पुत्री हरीसिह उम्र करीब 31 साल,

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

7/5 कीर्ति पुत्री हरीसिह उम्र करीब 25 साल,

निवासीयान सी–5 अयोध्या नगर, गांधी पथ–पश्चिम जयपुर

8. जगराम पुत्र श्री श्योनारायण, जाति ब्राम्हण, निवासी ग्राम रानोठ, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर

9. कौशल कुमार पुत्र श्री शिवराम, जाति ब्राम्हण, निवासी ग्राम 22/2 मनुमार्ग, अलवर

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर

दिनांक 28.06.2003

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री शैलेन्द्र भार्गव

2. वकील रेस्पो0 :– सुश्री सुषमा शर्मा

निर्णय दिनांक– 18.02.2021

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी मुण्डावर द्वारा मुकदमा नं0 283/96 में पारित निर्णय दिनांक 28.06.2003 के खिलाफ है, जिसके द्वारा आराजी खसरा नं0 257, 284, 297 वाके ग्राम रानौठ तहसील मुण्डावर पर ताफैसला वाद रिसीवर नियुक्त किया गया था। जिसकी अपील धर्मपाल ने प्रा0 पत्र 96 सी0पी0सी0 के साथ प्रस्तुत की है।

2. बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि विवादित भूमि हाल खं0 नं0 284 हमारे पिता बिहारी लाल ने 16.06.1945 को खरीदी थी। इसके साबिक नम्बर 331/118 एंव 333/119 थे। तहत अदालत में हमको पक्षकार नहीं बनाया। इसलिये धारा 96 सी0पी0सी के

उप-खण्ड अधिकारी एवं पदेन
अपील अधिकारी, अलवर

साथ यह अपील पेश की है। अपीलाधीन निर्णय की हमको समय पर जानकारी नही हुई। इसलिये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रा0 पत्र पेश किया है। विवादित भूमि में हमारा हक निहित है। हमको सुनवाई का मौका मिलना चाहिये। अतः प्रकरण रिमांड किया जावे।

3. जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि भूमि से इनका कोई लेना नहीं है। ये व्यथित पक्षकार नहीं है। अपील मियाद बाहर है। अपीलाधीन निर्णय अब प्रभाव में नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्को पर गौर किया। सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर गौर किया। माननीय बी0ओ0आर0 ने मियाद पर नरम रूप अपनाकर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किये जाने के सिद्धान्त अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है। अतः प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में नरम रूख अपनाकर देरी को माफ किया जाता है। अपीलाधीन निर्णय का भी अवलोकन किया। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.06.2003 द्वारा आराजी खसरा नं0 257, 284, 297 वाके ग्राम रानौठ तहसील मुण्डावर पर ताफैसला वाद रिसीवर नियुक्त किया गया था। अदालत हाजा में तहत अदालत द्वारा 419/96 उनवान इन्द्रा देवी बनाम गुलाब चन्द में पारित निर्णय दिनांक 09.12.2003 की फोटो प्रति पेश की गई है, जिसके अवलोकन से सिद्ध है कि प्रकरण से संबंधित वाद निस्तारित हो चुका है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलाधीन निर्णय द्वारा वाद के निर्णय तक रिसीवर नियुक्त किया गया था। चूंकि मूलवाद निस्तारित हो चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय प्रभाव में नहीं रहा।

5. अतः अपील अपीलांट प्रभावहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

6. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो।

(अशोक कुमार सांखला)

भू-प्रबंध अधिकारी एव पदेन
राजस्व अपील अधिकारी अलवर